

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20092025-266277
SG-DL-E-20092025-266277असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 18, 2025/भाद्र 27, 1947	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 223
No. 39]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 18, 2025/BHADRA 27, 1947	[N. C. T. D. No. 223

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

फा.सं. 66/गजट/पी.एफ/अधिवर्षिता/2025.—सुश्री सुखविंदर कौर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर-पूर्व जिला, कड़कड़ूमा कोर्ट परिसर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 (अपराहन) को 60 वर्ष की अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएँगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुखविंदर कौर, के विरुद्ध अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के अंतर्गत किसी प्रकार की अनुशासनात्मक/विभागीय कार्यवाही लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

न्यायालय के आदेशानुसार
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI**NOTIFICATION**

Delhi, the 17th September, 2025

F.No.66/Gaz/P.F./Superannuation/2025.—Ms. Sukhvinder Kaur, Principal District & Sessions Judge, North-East District, Karkardooma Court Complex, shall stand retired from Delhi Higher Judicial Service in the afternoon of 31st December, 2025 on attaining the age of superannuation of 60 years.

It is certified that no disciplinary/departmental proceedings under All India Service (Discipline & Appeal) Rules, 1969 is pending or contemplated against Ms. Sukhvinder Kaur, DHJS.

By order of this Court
ARUN BHARDWAJ, Registrar General